"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 233] रायपुर, सोमवार, दिनांक 18 जुलाई 2011—आषाढ़ 27, शक 1933

कृषि विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 जुलाई 2011

अधिसूचना

क्रमांक/2731/एफ-04/01/2010/14-2.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) के अधीन जारी राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. डी-15/13/88/14-3 (बी), भोपाल, दिनांक 16-11-1988 द्वारा, सरगुजा जिले के विकासखंड प्रतापपुर के मण्डी क्षेत्र को समाविष्ट करते हुए, प्रतापपुर में मण्डी विनियमित की गई है, जो इसमें इसके पश्चात् "प्रतापपुर मण्डी के अधिसूचित मण्डी क्षेत्र" के रूप में निर्दिष्ट है.

कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 70 की उप-धारा (1) के खंड (चार) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, प्रतापपुर मण्डी को बंद करने के लिए इस अधिसूचना के माध्यम से इसके आशय को संसूचित करती है.

और यत: कृषि उपज मण्डी समिति सुरजपुर के अधिसूचित मण्डी क्षेत्र के साथ प्रतापपुर के अधिसूचित मण्डी क्षेत्र के समामेलन के लिए, राज्य सरकार ने अधिसूचना क्र. 2739 दिनांक 18-07-11 के माध्यम से इसके आशय को संसूचित किया है.

प्रतापपुर मण्डी को बंद करने का उपरोक्त उल्लिखित प्रारूप जिसे राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 70 की उप-धारा (2) के द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार, ऐसे समस्त व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, एतद्द्वारा प्रकाशित करती है और एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि समुचित प्रारूप पर इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से छ: सप्ताह के अवसान के पश्चात् विचार किया जायेगा.

कोई आपत्ति या सुझाव जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से, विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, प्रमुख सचिव (कृषि) छत्तीसगढ़ शासन, (कक्ष क्र. 383), दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जायेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 18 जुलाई 2011

क्रमांक/2731/एफ-04/01/2010/14-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/2731/एफ-04/01/2010/14-2 दिनांक 18-07-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

Raipur, the 18th July 2011

NOTIFICATION

No./2731/F-04/01/2010/14-2.—The State Government's vide Notification No./D-15/13/88/14-3 (B), Bhopal dated 16-11-1988, issued under Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), regulated the market at Pratappur, having market area comprising, Development blocks Pratappur of Sarguja District, hereafter refer to as "the notified market area of Pratappur mandi".

In exercise of the powers conferred by clause (iv) of sub-section (1) of section 70 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government, hereby signify its intention through this notification, to disestablish the market of Pratappur.

AND WHEREAS, the State Government through its Notification vide No. 2739 dated 18-07-11 had, signified its intention to amalgamate the notified mandi area of Pratappur with notified market area of Krishi Upaj Mandi Samiti Surajpur.

The referred to above draft of disestablish of Pratappur Mandi, which the State Government its hereby published as required by sub-section (2) of Section 70 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), for the information of all persons likely to be affected hereby and notice is hereby given that the appropriate draft shall be taken into consideration after the expiry of six weeks from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

ANY objections or suggestions regarding the said draft received from any person, before the specified period in office hours by the office of the Principal Secretary (Agriculture), Government of Chhattisgarh, (Room No. 383), Dau Kalyan Singh Bhawan, Mantralaya, Raipur shall consider by the Government of Chhattisgarh.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
PRADEEP KUMAR DAVE, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 18 जुलाई 2011

अधिसूचना

क्रमांक/2733/एफ-04/01/2010/14-2.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) के अधीन जारी राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. डी-15/44/89/14-3 भोपाल, दिनांक 06-01-1990 एवं अधिसूचना क्र./डी-15-102/95/14-3, भोपाल, दिनांक 04-11-1997 द्वारा, तत्कालीन रायगढ़ जिले (वर्तमान जशपुर) के अंतर्गत कुनकुरी तहसील के तत्कालीन विकासखंड कुनकुरी, तपकरा (फरसबिहार) एवं दुलदुला के मण्डी क्षेत्र को समाविष्ट करते हुए, कुनकुरी में मण्डी विनियमित की गई है, जो इसमें इसके पश्चात् "कुनकुरी मण्डी के अधिसूचित मण्डी क्षेत्र" के रूप में निर्दिष्ट है.

कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 70 की उप-धारा (1) के खंड (चार) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, कुनकुरी मण्डी को बंद करने के लिए इस अधिसूचना के माध्यम से इसके आशय को संसूचित करती है.

और यत: कृषि उपज मण्डी समिति जशपुर के अधिसूचित मण्डी क्षेत्र के साथ कुनकुरी के अधिसूचित मण्डी क्षेत्र के समामेलन के लिए, राज्य सरकार ने अधिसूचना क्र. 2737 दिनांक 18-07-11 के माध्यम से इसके आशय को संसूचित किया है.

कुनकुरी मण्डी को बंद करने का उपरोक्त उल्लिखित प्रारूप जिसे राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 70 की उप-धारा (2) के द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार, ऐसे समस्त व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि समुचित प्रारूप पर इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से छ: सप्ताह के अवसान के पश्चात् विचार किया जायेगा.

कोई आपत्ति या सुझाव जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से, विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, प्रमुख सचिव (कृषि) छत्तीसगढ़ शासन, (कक्ष क्र. 383), दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जायेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 18 जुलाई 2011

क्रमांक/2733/एफ-04/01/2010/14-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/2733/एफ-04/01/2010/14-2 दिनांक 18-07-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

Raipur, the 18th July 2011

NOTIFICATION

No./2733/F-04/01/2010/14-2.—The State Government's vide Notification No./D-15/44/89/14-3, Bhopal dated 06-01-1990 and amended Notification vide No./D-15-102/95/14-3, Bhopal dated 04-11-1997, issued under Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), regulated the market at Kunkuri, having market area comprising of the then. Development blocks Kunkuri, Tapkara (Farasbihar) and Duldula of Kunkuri Tahsil under the then Raigarh District (presently Jashpur), hereafter refer to as "the notified market area of Kunkuri mandi".

In exercise of the powers conferred under clause (iv) of sub-section (1) of section 70 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government, hereby signify its intention through this notification, to disestablish market of Kunkuri.

AND WHEREAS, the State Government through its Notification vide No. 2737 dated 18-07-11 had. signified its intention to amalgamate the notified mandi area of Kunkuri with notified market area of Krishi Upaj Mandi Samiti Jashpur.

The referred to above draft of disestablish of Kunkuri Mandi, which the State Government its hereby published as required by sub-section (2) of Section 70 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), for the information of all persons likely to be affected hereby and notice is hereby given that the appropriate draft shall be taken into consideration after the expiry of six weeks from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

ANY objections or suggestions regarding the said draft received from any person, before the specified period in the office hours by the office of the Principal Secretary (Agriculture), Government of Chhattisgarh, (Room No. 383), Dau Kalyan Singh Bhawan, Mantralaya, Raipur shall be consider by the Government of Chhattisgarh.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRADEEP KUMAR DAVE, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 18 जुलाई 2011

अधिसूचना

क्रमांक/2737/एफ-04/01/2010/14-2.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1960 (क्र. 19 सन् 1960) के उपबंध के अधीन जारी राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. 2489/11995/14-3, भोपाल, दिनांक 26-04-1969 द्वारा, तत्कालीन रायगढ़ जिले (वर्तमान जशपुर जिले) के तत्कालीन विकासखंड जशपुर एवं मनोरा के समस्त राजस्व एवं वनग्रामों के मण्डी क्षेत्रों को समाविष्ट करते हुए, जशपुर में मण्डी विनियमित की गई है, जो इसमें इसके पश्चात् "जशपुर मण्डी के अधिसूचित मण्डी क्षेत्र" के रूप में निर्दिष्ट है.

यत:, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 70 की उप-धारा (1) के खंड (चार) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा अधिसूचना क्रमांक 2733 दिनांक 18-7-11 जारी करते हुए, कुनकुरी के मण्डी को बंद करने के लिए, इस अधिसूचना के माध्यम से इसके आशय को संसूचित करती है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 70 की उपधारा (1) के खंड (दो) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, जशपुर के अधिसूचित मण्डी क्षेत्र जो कि ऊपर उल्लेखित है के साथ कुनकुरी के अधिसूचित मण्डी क्षेत्र के समामेलन के लिए, एक मण्डी समिति जशपुर गठित करते हुए, इसके आशय को संसूचित करती है, अत: जशपुर जिले के कुनकुरी, तपकरा (फरसबहार), दुलदुला, जशपुर तथा मनोरा तहसील के सम्पूर्ण वनग्रामों सहित समस्त क्षेत्रों को जैसा कि नीचे दी गई अनुसूची में उल्लेखित है और जो कि कृषि उपज मण्डी समिति जशपुर के मण्डी क्षेत्र के रूप में संशोधित तथा प्रस्तावित है, में समाविष्ट किया जा रहा है.

अतएव, मण्डी क्षेत्रों को बंद करने एवं उनके समामेलन का उपरोक्त उल्लेखित प्रारूप जिसे उक्त अधिनियम की धारा 70 की उपधारा (2) के अधीन अपेक्षित किए गए अनुसार, ऐसे समस्त व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से छ: सप्ताह के अवसान के पश्चात् विचार किया जाएगा.

कोई आपत्ति या सुझाव जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से, उपरोक्त विनिर्दिष्ट कालावधि के अवसान के पूर्व, प्रमुख सचिव (कृषि) छत्तीसगढ़ शासन, (कक्ष क्र. 383), दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जायेगा.

अनुसूची

जशपुर मंडी के प्रस्तावित मंडी क्षेत्र :—

(क) जशपुर जिले के अंतर्गत वर्तमान तहसील कुनकुरी, तपकरा (फरसबहार), दुलदुला, जशपुर एवं मनोरा के सम्पूर्ण वनग्रामों सहित समस्त क्षेत्र.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 18 जुलाई 2011

क्रमांक/2737/एफ-04/01/2010/14-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/2737/एफ-04/01/2010/14-2 दिनांक 18-07-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

Raipur, the 18th July 2011

NOTIFICATION

No./2737/F-04/01/2010/14-2.—The State Government vide Notification No. 2489/I 1995/14-3, Bhopal, dated 26-04-1969, issued under the provision of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1960 (No. 19 of 1960), regulated the market at Jashpur, having market area comprising of all revenue and forest villages of the then, development blocks Jashpur and Manora of the then Raigarh District (presently Jashpur District), hereafter referred to as "the notified market area of Jashpur mandi".

WHEREAS, by issuance of notification vide No. 2733 dated 18-07-11 the State Government, by exercise the powers conferred under clause (iv) of sub-section (1) of Section 70, of Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973) hereby, signify its intention through this notification, to disestablish the market of Kunkuri.

Therefore, the State Government, in exercise of the powers conferred under clause (ii) of sub-section (1) of Section 70 of the said Adhiniyam, hereby signifies its intention to amalgamate the notified market area of Kunkuri with notified market area of Jashpur, as mentioned above, constituting one market committee of Jashpur, thus comprising of complete area of Tahsil Kunkuri, Tapkara (Farasbihar), Duldula, Jashpur and Manora of District Jashpur inclusive of all forest villages, mentioned in the schedule below, as proposed and amended market area of Krishi Upaj Mandi Samiti Jashpur.

Now, Therefore, the above referred draft to disestablish and amalgamate market areas, is hereby, published as required under sub-section (2) of Section 70 of the said Adhiniyam, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after the expiry of six weeks from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person, with respect to the said draft before the expiry of the period specified above, in office hours by the office of the Principal Secretary (Agriculture), Government of Chhattisgarh, (Room No. 383), Dau Kalyan Singh Bhawan, Mantralaya, Raipur will considered by the Government of Chhattisgarh.

SCHEDULE

Proposed Mandi area of Jashpur Market :—

(A) Complete area inclusive of all forest villages of present Tahsil Kunkuri, Tapkara (Farasbihar), Duldula, Jashpur and Manora under Jashpur District.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
PRADEEP KUMAR DAVE, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 18 जुलाई 2011

अधिसूचना

क्रमांक/2739/एफ-04/01/2010/14-2.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) के उपबंध के अधीन जारी राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. डी-15/39/88/14-3, भोपाल, दिनांक 29-03-1990 सरगुजा जिले के सूरजपुर तहसील के तत्कालीन विकासखंड भैयाथान, ओडगी, रामानुजनगर एवं प्रेमनगर के समस्त राजस्व एवं वनग्रामों के मण्डी क्षेत्रों को समाविष्ट करते हुए, "सूरजपुर" में मण्डी विनियमित की गई.

यत:, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 70 की उप-धारा (1) के खंड (चार) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार ने प्रतापपुर मण्डी को बंद करने के लिए, अधिसूचना क्रमांक 2731 दिनांक 18-7-11 द्वारा इसके आशय को संसूचित किया है.

और यत:, उक्त अधिनियम की धारा 70 की उपधारा (1) के खंड (दो) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, सूरजपुर के अधिसूचित मण्डी क्षेत्र जो कि ऊपर उल्लेखित है के साथ प्रतापपुर के अधिसूचित मण्डी क्षेत्र के समामेलन के लिए, एक मण्डी समिति रामानुजनगर गठित करते हुए, इसके आशय को संसूचित करती है, अत: सरगुजा जिले के अंतर्गत प्रतापपुर, सूरजपुर, भैयाथान, ओडगी, रामानुजनगर एवं प्रेमनगर तहसील के सम्पूर्ण वनग्रामों सहित समस्त क्षेत्रों को जैसा कि नीचे दी गई अनुसूची में उल्लेखित है और जो कि कृषि उपज मण्डी समिति सूरजपुर के मण्डी क्षेत्र के रूप में संशोधित तथा प्रस्तावित है, में समाविष्ट किया जा रहा है.

अतएव, सूरजपुर मण्डी के मण्डी क्षेत्र में प्रस्तावित परिवर्तन का उपरोक्त उल्लेखित प्रारूप जिसे उक्त अधिनियम की धारा 70 की उपधारा (2) के अधीन अपेक्षित किए गए अनुसार, ऐसे समस्त व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से छ: सप्ताह के अवसान के पश्चात् विचार किया जाएगा.

कोई आपत्ति या सुझाव जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से, उपरोक्त विनिर्दिष्ट कालावधि के अवसान के पूर्व, प्रमुख सचिव (कृषि) छत्तीसगढ़ शासन, (कक्ष क्र. 383), दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जायेगा.

अनुसूची

सूरजपुर मंडी समिति के लिए प्रस्तावित मंडी क्षेत्र :—

(क) सरगुजा जिले के अंतर्गत वर्तमान तहसील प्रतापपुर, सूरजपुर, भैयाथान, ओडगी, रामानुजनगर एवं प्रेमनगर के सम्पूर्ण वनग्रामों सहित समस्त क्षेत्र.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 18 जुलाई 2011

क्रमांक/2739/एफ-04/01/2010/14-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/2739/एफ-04/01/2010/14-2 दिनांक 18-07-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

Raipur, the 18th July 2011

NOTIFICATION

No./2739/F-04/01/2010/14-2.—The State Government vide Notification No./D-15/39/88/14-3, Bhopal dated 29-03-1990, issued under the provision of Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), regulated the market at Surajpur, having market area comprising of all revenue and forest villages of the then, Development blocks Bhaiyathan, Odagi, Ramanujnagar and Premnagar of Surajpur Tahsil of Sarguja District.

Whereas, vide Notification No. 2731 dated 18-07-11 the State Government in exercise of the powers conferred under clause (iv) of sub-section (1) of Section 70, of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973) had signified its intention to disestablished the market of Pratappur.

And Whereas, the State Government, in exercise of the powers conferred under clause (ii) of sub-section (1) of Section 70 of the said Adhiniyam, hereby, signify its intention to amalgamate the notified market area of Pratappur with notified market area of Surajpur, as mentioned above, constituting one market committee of Ramanujganj, thus comprising of complete area of Tahsil Pratappur, Surajpur, Bhaiyathan, Odagi, Ramanujnagar and Premnagar under Sarguja District, inclusive of all forest villages, as mentioned in the schedule below, as proposed and amended market area of Krishi Upaj Mandi Samiti Surajpur.

Now, Therefore, the above referred draft of proposed alteration in the market area of Surajpur Mandi, is hereby published as required under sub-section (2) of Section 70 of the said Adhiniyam, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after the expiry of six weeks from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person, with respect to the said draft before the expiry of the period specified above, in office hours by the office of the Principal Secretary (Agriculture), Government of Chhattisgarh, (Room No. 383), Dau Kalyan Singh Bhawan, Mantralaya, Raipur will be considered by the Government of Chhattisgarh.

SCHEDULE

Proposed Mandi area of Surajpur Market :—

(A) Complete area inclusive of all forest villages of present Tahsil Pratappur, Surajpur, Bhaiyathan, Odagi, Ramanujnagar and Premnagar under Sarguja District.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRADEEP KUMAR DAVE, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.